''भारत में मानवाधिकार : महिलाओं और बच्चों के सन्दर्भ में एक अध्ययन''

सुश्री पुष्पा कालरवाल
शोध छात्रा, राजनीतिक विज्ञान
मोहनलाल सुखाड़िया विष्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान

प्रस्तावना –

व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास तभी संभव है जब व्यक्ति को अपनी अन्तर्निहित शक्तियों के प्रस्फुटन का समुचित अवसर प्राप्त हो। इसके अभाव में उसका व्यक्तित्व कुण्ठाग्रस्त हो जाता है और प्राकृति क्षमताएँ अविकसित रह जाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रीन ने कहा कि मानव चेतना अपने विकास हेतु स्वतन्त्रता चाहती है, स्वतन्त्रता अधिकारों में निहित है और अधिकार राज्य की माँग करते हैं।

प्रो. हेराल्ड का मानना है कि अधिकारों की अनुपस्थिति में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। अतः मनुष्य प्रारम्भ से ही समाज को प्राप्त करने के लिए थी जो उसके विकास के लिए आवश्यक है।

जॉन लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पूर्व भी मनुष्य के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार थे जिसमें जीवन स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकार प्रमुख थे इसी प्रकार रूसों का भी मानना था कि प्राकृतिक अधिकार किसी एक व्यक्ति अथवा संस्था को नहीं अपितु पूरे समाज को सौंपे गए थे। अनेक विचारकों और चिन्तकों ने अधिकारों की अवधारणा के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। यह प्राकृतिक अधिकार ही मानवाधिकारों का आधार बने अतः ऐसे सभी अधिकार जो मनुष्य की स्वतन्त्रता व गरीमा का पोषण करने तथा उसके भौतिक, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनिवार्य होते है, मानवाधिकार की श्रेणी में आते है।[1]

संसार में ईश्वर की अनुपम कृति मानव है। मानव की उत्पत्ति का इतिहास अति प्राचीन है। इसका विकास विभिन्न चरणों में हुआ है। मानव के विकास के साथ ही उसे अधिकारों की आवश्यकता महसूस हुई। इस आवश्यकता को ही मानवाधिकार कहा जाता है। मानव को अपनी गरीमा बनाए रखने के लिए मानवाधिकारों की आवश्यकता है। मानव को जीवन की कल्पना अधिकरों के बिना नहीं की जा सकती। वस्तुतः किसी व्यक्ति के मानव होने और मानव बने रहने के लिए अधिकार अनिवार्य है। मानवाधिकारों को स्वीकार करने से मानव सभ्यता का विकास संभव हुआ है। प्राचीन समय में मानवाधिकार दिव्य माने जाते थे अर्थात् ईश्वर प्रदत्त थे। धीरे –धीरे मनुष्य को जंजीरों में जकड़ दिया गया, उनसे निकलने के लिए अपने मानवाधिकारों के साथ जी रहे हैं।

भारत में बाल मानवाधिकार –

किसी भी राष्ट्र एवं समाज के लिए बच्चे उसका भविष्य है। बच्चों के बिना किसी भी राष्ट्र एवं समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत जैसे सामाजिक परम्पराओं के बहुल्य वाले देश में जहाँ बच्चे भगवान की देन माने जाते हैं तथा निःसन्तान दम्पत्ति को सामाजिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, बच्चों की एक बड़ी आबादी है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार 0–18 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 440 करोड़ के लगभग है। यह संख्या भारत की पूरी जनसंख्या का 42 प्रतिशत है यानि प्रत्येंक दस व्यक्तियों पर 4 बच्चे है।

बालक मानव पीढ़ी के प्रति रूप होते हैं। वे देश के भावी नागरिक होते हैं, जिन पर देश का भविष्य निर्भर रहता है। बच्चों का विकास एक ऐसे वातावरण में करने की आवश्यकता है। जिसमें वे स्वतन्त्रतापूर्वक तथा गरिमापूर्ण जीवन बिता सके। अच्छे नागरिक बनने के लिए उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश बच्चों का बड़ा अनुपात अपने अधिकारों से वंचित है। बालक समाज का वो कोमल हिस्सा है जिनके मानवाधिकारों का हनन आसानी से किया जा सकता है। उन्हें अर्थव्यवस्था के

विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हुआ पाया जाता है। कुछ को बन्द रखा जाता है, पीटा जाता है, गुलाम बनाया जाता है और घूमने की स्वतन्त्रता से वंचित किया जाता है। बच्चों का मानसिक, भावनात्मक शारीरिक शोषण किया जाता है। बालकों को आसान शिकार समझकर उन पर कई तरह के अत्याचार किए जाते है।

आए दिन समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि शहरों तथा गाँवों में बच्चों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि कई प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ता है। उन्हें कई प्रकार की यातनाऐं झेलनी पड़ती है। इन यातनाओं के कई रूप होते हैं। नवजात शिशु फेंक दिए जाते है। ऐसे मामलों के कई कारण होते है जैसे – माँ–बाप की गरीबी के कारण पालन–पोषण में असमर्थता नाजायज सन्तान या विकलांग सन्तान, विशेषकर बच्चियाँ। परन्तु उक्त कारणों में बच्चों का क्या दोष है? हमारा समाज इस विचार पर ध्यान नहीं देता है कि निर्दोष को सजा क्यों दी जाए? एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में लगभग पचास हजार से भी अधिक बच्चों प्रतिवर्ष त्याग किया जाता है इनमें अधिकतर नवजात शिशु होते हैं। व्यस्क व्यक्ति अपने अहं एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से भी बच्चों के प्रति क्रूर होकर उनके जीने का मूल अधिकार छीन लेते हैं।

बच्चों की दयनीय स्थिति के कुछ तथ्य निम्न प्रकार से है –

- विश्व का हर बच्चा भारत में रहता है।
- विश्व का हर तीसरा बच्चा कुपोषित बच्चा भारत में है।
- भारत का हर दूसरा बच्चा अल्पहारी है।
- भारत के चारे में से तीन बच्चे रक्ताल्पता से पीड़ित है।
- 0–6 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों का लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों पर 927 बालिकाएँ है।
- भारत में 1104 लाख बाल श्रमिक है।टीकाकरण की सफलता बहुत कम है। (पोलियों 78.2 प्रतिशत, खसरा 58.8 प्रतिशत, डी.पी.टी. 55.3 प्रतिशत, बी.सी.जी. 78 प्रतिशत) है।

शोध विषय का औचित्य –

मानवाधिकार अधिकारों का एक समूह है, जो प्रत्येंक मानव का अधिकार है हर इन्सान को इन अधिकारों से विरासत में मिला है, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, लिंग, आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित हो। मानव अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार हो। वे वास्तव में दुनिया में अच्छे जीवन स्तर के लिए आवश्यक है। मानवाधिकार किसी देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। यदि आप एक इन्सान हैं तो आप मानव अधिकार आपको सुख और समृद्धि से भरा जीवन देने में मदद करेंगे। मानवाधिकारों को सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है। जिसका प्रत्येंक व्यक्ति अपना लिंग, जाति, पंथ, धर्म, संस्कृति, सामाजिक/आर्थिक स्थिति या स्थान की परवाह किए बिना हकदार है। ये वे मापदण्ड है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं और कानून द्वारा संरक्षित है। पृथ्वी पर रहने वाले हर इन्सान को जीवित रहने का अधिकार है।

आज के समय में मानव अधिकार एक ऐसी सुविधा है, जिसके बिना हमारा जीवन काफी भयावह और दयानीय हो जाएगा क्योंकि बिना मानव अधिकारों के हम पर तमाम तरह के अत्याचार किए जा सकते है और बिना किसी भय के हमारा शोषण किया जा सकता है। वास्तव में मानव अधिकार सिर्फ आज के समय में ही नहीं पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में भी काफी आवश्यक रहे है। भारत में प्राचीनतम में कई सारे गणतांत्रिक राज्यों के नागरिकों को कई विशेष मानव अधिका प्राप्त थे। आज के समय में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कैदियों से लेकर युद्ध बंदियों तक के मानव अधिकार को तय किया गया है। इन अधिकारों की देखरेख और नियमन कई प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों द्वारा किया जाता है। यदि मानव अधिकार ना हो तो हमारा जीवन संगठनों द्वारा किया जाता है।

मानवाधिकार, व्यक्तियों को उनके मानव होने के आधार पर दिए गए मूल अधिकार, लगभग सभी जगह समान है। प्रत्येंक देश किसी व्यक्ति की जाति, पंथ, रंग, लिंग, संस्कृति और आर्थिक या सामाजिक स्थिति के बावजूद इन अधिकारों को प्राप्त करता है। हालांकि, कई बार इनाक उल्लंघन व्यक्तियों, समूहों या राज्य द्वारा किया जाता है। इसलिए, लोगों को मानव अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन स्थापित किए गए है।

मानव अधिकार के तहत ही व्यक्ति को सही तरीके से अपना जीवनयापन करने में मदद मिलती है, इसलिए इन अधिकारों के महत्त्व को समझना चाहिए और इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हर नागरिक को मानव अधिकरों की अवहेलना के खिलाफ बुलन्द करनी चाहिए।[7]

- **उपलब्ध शोध विषय साहित्य की समीक्षा –**

डॉ. सुरेन्द्र कटारिया ने ''मानवाधिकार, सभ्य एवं पुलिस'' (2003) में मानवाधिकारों के उद्भव, अवधारणा एवं अनुप्रयोग का विश्लेषण करते हुए भारत में मानवाधिकार संरक्षण का विवेचन किया है। इन्होंने भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों और यथार्थ का तुलनात्मक अध्ययन किया है।

डॉ. मीनाक्षी स्वामी ने ''मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस'' (1999) में मानवाधिकारों का अर्थ, विकास एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषरण किया है। समाज में वंचित वर्गों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु बने कानूनों का उल्लेख करने के साथ ही इन अधिकारों के संरक्षण में पुलिस की महत्ती भूमिका का विवेचन किया है।

एस.के. पचौरी की ''चिल्ड्रेन एण्ड ह्यूमन राइट्स (1999) में बच्चों के विरूद्ध अपराधों, बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, बाल बलात्कार, बाल स्वास्थ्य की स्थिति का चित्रण करते हुए बाल अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का विस्तृत वर्णन किया है। साथ ही बाल–कल्याण और सुरक्षा सम्बन्धी सामाजिक और कानूनी सिद्धान्तों की घोषणा, बाल अधिकारों की घोषणा का भी विवेचन किया है।

डॉ. पुष्पलता तनेजा ''मानवाधिकार और बाल शोषण'' (2003) में कहा है कि बाल शोषण की समस्या समाज में गहराई में फैली हुई है। अभी इसका अन्त होने में समय लगेगा इस अध्ययन में बाल शोषण के विभिन्न पहलुओं – दैहिक, लैंगिक, सामाजिक , मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण की समस्याओं पर उदाहरणों सहित अलग–अलग वर्णन किया है। इन्होंने भारत सरकार की सन् 1974 में अपनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करते हुए बाल शिक्षा के प्रसार में सहायक अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख किया है।

ध्रुव कुमार दीक्षित ने ''बालश्रम उन्मूलन एक चुनौती'' (2002) में बालश्रम को एक विश्वव्यापी और समसामाजिक समस्या बताया है। यह 23 शोध–पत्रों का एक संकलन है जिसमें बाल श्रमिकों की समस्या पर कई पहलुओं से विचार किया गया। इस पुस्तक में मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में बालश्रम की विकट समस्या का चित्रण किया है। हिन्दी साहित्य में बालश्रम शोषण की अभिव्यक्ति का विश्लेषण करते हुए बालश्रम समस्या के कानूनी व वास्तविक पक्षों पर भी प्रकाश डाला है।

जोसेफ गेथिया की रचना ''भारत में बालिका, धर्म, हिंसा, क्षमता एवं परिवर्तन'' (2002) में बालिकाओं की समस्या को समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। साथ ही पुस्तक में उन प्रयासों का भी जिक्र किया है जो लड़कियों के बेहतर भविष्य का कारण बन सकते है। बालिका मजदूर की समस्या के स्वरूप को दर्शाया है, ''धर्म और लड़कियाँ'' अध्याय में विभिन्न धर्मो में लड़कियों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक परिवर्तन में धर्म के सकारात्मक पहलू पर जोर दिया गया है। पुस्तक में कहा गया है कि महिलाऐं महिलाओं की मुक्ति के प्रति तब तक समर्पित नहीं हो सकती जब तक कि पुरूष उनका इस आन्दोलन में पूरी तरह साथ न दें।[10]

- **शोध का उद्देश्य –**

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य मानव के मानव होने के दावे को गरिमामय स्थान देना ही है अपितु गौरवपूर्ण, गरिमामय जीवन की परिधि में एकरूपता, सामंजस्यता, समानता के दृष्टिकोणों को इस तरह वैकल्पिक स्वरूपण देना है। प्रस्तुत अध्ययन के विषय को अपने शोध प्रबन्ध हेतु चुनते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। विशेषतया बदलते भारतीय सामाजिक परिदृश्य में मानवाधिकारों के अर्थ, अवधारणात्मक विश्लेषण, पुराने व नवीन दृष्टिकोण, उनके विकासात्मक विश्लेषण से लेकर वर्तमान भारत में बच्चों के संदर्भ में मानवाधिकारों की स्थिति और मानवाधिकार आयोगों के क्रियाकलापों का मूल्यांकन अति आवश्यक हो जाता है।''[11]

प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य भारत बच्चों के संदर्भ में मानवाधिकारों की स्थिति का विश्लेषण करना है और मानवाधिकारों के सैद्धांतिक और वर्तमान व्यवहारिक रूप का विवेचन करना है। प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों की संवैधानिक और नीतिगत स्थिति का विश्लेषण करना, जिसमें मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाये गये विभिन्न आयोग भी सम्मिलित है।
- अध्ययन का उद्देश्य भारत में बच्चों की वास्तविक स्थिति का आंकलन करना, जिसमें उनके विरूद्ध किये जा रहे अपराधों का तथ्यात्मक विश्लेषण कर उनके मानवाधिकार हनन की परिस्थितियों को उजागर करना है।
- अध्ययन का उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों की संवैधानिक और नीतिगत स्थिति का विश्लेषण करना, जिसमें मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए विभिन्न आयोग भी सम्मिलित है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारतीय संविधान और नीति निर्माताओं द्वारा महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार हनन को रोकने हेतु किए गए विद्यायी उपायों की व्याख्या करते हुए विभिन्न अधिनियमों, कानूनों का मूल्यांकन करता है।
- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा बच्चों के मानवाधिकार उन्नयन की दिशा में उनके सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करना। इसके अन्तर्गत महिला और बाल कल्याण हेतु चलाई जा रही सरकारी योजनाऐं, नीतियाँ, घोषणाऐं विभिन्न प्रोत्साहन पुरस्कार आदि कार्यक्रम, साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग व मानवाधिकार आयोग द्वारा किये जा रहे कार्यो का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।
- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में बालकों के मानवाधिकारों की वास्तविक स्थिति का आंकलन कर अपने देश में उनके कल्याण और उन्नयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

- **शोध प्रविधि (अध्ययन स्त्रोत) –**

किसी भी सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य एक घटना विशेष के सम्बन्ध में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होता हैं ये निष्कर्ष तथ्य घटित होते हैं। इन तथ्यों को एकत्रित करने के लिए काम में लिए गए निश्चित प्रमाण सिद्ध तरीकों को ही प्रविधि कहते हैं। प्रविधि के बारे में समाजशास्त्री प्रो. मोजर के कथानुसार, ''सोशियल इन्वेस्टीगेशन प्रविधियाँ एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिए मान्य सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वे अपने अध्ययन विषय से सम्बन्धित विश्वसनीय तरीकों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है।'' प्रविधि वह साधन है जिसके माध्यम से अनुसंधान के लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों का संकलन किया जाता है। एक सामाजिक अनुसंधानकर्त्ता को अपनी मूल प्रविधि की व्याख्या करने हेतु भौतिक वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करना पड़ता है परन्तु उसके समंक भौतिक शास्त्रियों के समान सामान्यीकरण प्राप्त नहीं होते तथा विवाद से परे भी नहीं होते हैं। ये पूर्ण रूप से नियंत्रित प्रयोगशाला के वातावरण में कार्य नहीं कर सकता और न ही औपचारिक रूप से किसी तथ्य को बता सकता है। वे समाज वैज्ञानिक जो पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है फिर भी वैज्ञानिक प्रणाली के सिद्धान्तों का अवलोकन कर अपने विषय पर लागू कर निष्कर्ष निकालते हैं।

- **शोध परिकल्पना –**

मानवाधिकार के क्षेत्र में महिला वर्ग एवं बच्चों की स्थिति और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षा के उपाय विषय में निम्न परिकल्पनाएँ की गई है जिनके आधार पर अध्ययन व विश्लेषण किया गया है। शोध प्रबन्ध अध्ययन की मुख्य परिकल्पनाएँ निम्नलिखित है –

1. गर्भ में कन्या भ्रूण होने पर गर्भ समापन की कार्यवाही के लिए महिला को बाध्य किया जाता है तथा कन्या जन्म होने पर उसे मारने या फेंकने की साजिश की जाती है।
2. भारतीय संविधान महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को विशेष संरक्षण प्रदान करता हैं।

सर्वप्रथम बालश्रम जैसी सामाजिक बुराई का वर्णन किया गया है जिसके अन्तर्गत बालश्रमिक का आशय समझाया गया है। साथ ही विभिन्न ऐतिहासिक काल में बाल श्रम को समझाया गया है। बालश्रम का वीभत्स रूप गरीबी और अशिक्षा के कारण जो वर्तमान युग में सामने आया है वैसा पूर्व में कभी नहीं रहा। प्राचीन भारत भारत में दासों के रूप में बच्चों को रखा जाता था परन्तु मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर ने इस पर रोक लगा दी परन्तु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सका। आधुनिक युग में बालश्रम एवं भयंकर सामाजिक समस्या बनकर उभर रहा है। ब्रिटिश सरकार ने इस बुराई को दूर करने के लिए कई वैधानिक उपाय किए। आजादी के पचास वर्ष बाद भी मुरादाबाद का पीतल उद्योग, वाराणसी का पटाखा उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग आदि बालश्रम के विशिष्ट उदाहरण है। बालिका श्रमिकों की समस्या भी उम्र रूप में मौजूद है। बाल भिक्षुक बच्चे कई कारणों से दुष्ट लोगों के चंगुल में फँसकर अपना जीवन कष्टमय रूप से झेलते है। बालिकाओं के यौन शोषण और बाल वैश्यावृत्ति की समस्या भी बहुत विकट है। छोटी–छोटी बच्चियों के साथ पुरूषों द्वारा बलात्कार करना और उनकी हत्या कर देने में समाचार आए दिन देखने को मिलते हैं। बचपन में बलात्कृत बच्चियाँ कई बार बाल वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर हो जाती है। निर्धनता के कारण ऐसे कार्यों को बढ़ावा मिलता है। देवदासी प्रथा ऐसी ही स्थिति का नाम हैं

- **निश्कर्श**

बदलते सार्वभौतिक परिदृश्य में मानवाधिकार के संरक्षण की दिशा में आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण कर सकें। जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपनी मनपसन्द जीवन प्रणाली से जिए उसका जीवन सुरक्षित रहें उसे कोई किसी प्रकार की मानसिक व शारीरिक पीड़ा न दे, उसके साथ निर्दयी, अमानुषिक और अपमानजनक व्यवहार न हो उसके हकों पर कोई आघात न करें। वह जिस स्थान पर चाहे रहे, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की रक्षा और देखभाल करने का उसे पूरा अधिकार हो। वह विधि सम्मत जो पेशा अपनाना चाहे अपनाए निर्भय हो, उसके साथ भाषा, लिंग, जाति, धर्म, वर्ण और रंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, वह अपना और अपने परिजनों का ख्याल रख सकें अपनी सम्पत्ति की रक्षा कर सकें और अपने धार्मिक रीति–रिवाजों का पूरी आजादी से पालन कर सकें। यदि हम समाज में उक्त परिस्थितियाँ लाने में सफल होते हैं तभी हम मानवाधिकार संरक्षण में सफल हो पाऐंगे।

- **सुझाव –**

परिवर्तन की आवश्यकता–एक मानवीय दृष्टिकोण, –

सर्वप्रथम स्त्री प्रस्थिति में सुधार हेतु विचार किया गया है। स्त्रियों की दुर्बल स्थिति में सुधार हेतु उन परम्परागत मान्यताओं, धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक बन्धनों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जो स्त्री को पुरूषों की अधीनता में रहने को सामाजिक मान्यता प्रदान करते हैं। अनेक अवसरों पर पारिवारिक

प्रतिष्ठा रहने को सामाजिक मान्यता प्रदान करते हैं। अनेक अवसरों पर पारिवारिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए महिलाऐं घरेलू यातनाओं के विरूद्ध आवाज नहीं उठा पाती अतः उचित प्रक्रिया एवं प्रावधानों द्वारा इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

आधनिक परिप्रेक्ष्य में यह टिप्पणी यहाँ अनिवार्य है कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों के साथ–साथ शोषित महिला के माता–पिता एवं परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। लड़की के जीवन का अंतिम उद्देश्य मात्र विवाह ही क्यों है? माता–पिता भी पुत्रियों की दुःखी दशा के लिए एक हद तक उत्तरदायी है। वे अपनी पुत्रियों का विवाह दहेज लोभी परिवारों में क्यों करते है? वे अपनी पुत्रियों को उस दिशा में ससुराल ही क्यों रहने देते है जबकि उन्हें वहां शारीरिक, मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है? सामाजिक कलंक की चिंता में वे अपनी पुत्रियों का बलिदान क्यों करते हैं।

बाल श्रमिकों की मानवाधिकार रक्षा हेतु सुझाव –

भारत की वर्तमान परिस्थितियों में बालश्रम उन्मूलन हेतु एक सशक्त उपाय निर्धनता के पूर्ण रूप से उन्मूलन की आशा करना एक मृगतृष्णा है अतः सरकार को बालश्रम अधिनियम को कठोरतापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। जागरूकता अभियान चलाये जाऐं जिनका प्राथमिक उद्देश्य बाल श्रमिकों के अभिभावकों को समझाने का होना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को काम पर भेजने की जगह स्कूल भेंजे। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जोखिमपूर्ण एवं खतरनाक व्यवसायों से हटाकर बच्चों का पुनर्वास अति आवश्यक है। शेष अन्य कार्यों में लगे बच्चों की शिक्षा की सांध्यकालीन, रात्रिकालीन तथा अवकाश के दिनों में चलाये जाने वाले विद्यालयों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था हो। कोशिश यह जारी रहनी चाहिए कि ये बच्चे भी धीरे–धीरे मजदूरी को त्यागकर औपचारिक शिक्षा व्यवसाय से जुड़ते जायें। संसाधनों की सीमितता के कारण एमदम ऐसा करना तो संभव नहीं है, अतः प्राथमिकताओं का एक क्रम बनाकर कार्यों को सम्पादित किया जाना होगा। बच्चे मजदूरी की अपेक्षा पढ़ाई की और आकर्षित हो, इसके लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति तथा व्यवसायिक शिक्षा को महत्त्व दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. राष्ट्र महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग की मासिक पत्रिका, अक्टूबर 2020 पृ. 2
2. संगीता महादाणी ''स्त्री को लड़नी है नई लड़ाई'' फैमिना अंक, प्रयास शुक्ल नई दिल्ली 2015 पृ. 5
3. डेविड एम. बाकर, दि ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू ला, 1999 पृ–11
4. कथासरितसागर, 28,6
5. ''बाल दुर्व्यव्हार पर अध्ययन,'' भारत 2018 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पृ. 6
6. फैमिना, प्रयास शुक्ल इण्डिया प्रकाशन, नई दिल्ली, दिसम्बर 2016 पृ. 3
7. महाभारत, अनुशासन पर्व 46151
8. राष्ट्र महिला, दिसम्बर 2020
9. पूर्वोक्त, पृ. 7
10. प्रो.सी.ए. मोजर, ''साईटिफिक सोशियल सर्वेज एण्ड रिसर्च'', 2008, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली पृ. 242
11. राजेन्द्र यादव ''गुलामी का आनन्द और स्वतन्त्रता के खतरे'', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली पृ. 20
12. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, (2018–2019) पृ. 66–67
13. राजस्थान पत्रिका, परिवार दिसम्बर 2020 पृ. 4

14. स्वामी विवेकानन्द, उद्घृत से कुप्पुस्वामी, ''भारतीय सामाजिक संस्थाऐं एवं भारत में स्त्रियों की स्थिति'' पृ. 303

पत्र–पत्रिकाऐं –

15. ''हमारी बेटियाँ इन्साफ के इन्तजार में,'' कमला भसीन, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर, यूनिसेफ
16. कानूनी शिक्षा सीरिज, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।
17. राजस्थान पत्रिका
18. महिलाओं के कानूनी अधिकार, न्यायमूर्ति एन.के.जैन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर (2006)
19. द कन्वेशन ऑनद राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूनिसेफ
20. दैनिक भास्कर, 19 नवम्बर 2020
21. ''मीरा दीदी से पूछो,'' राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली
22. वार्षिक कार्य योजना, 2008–09–1, बालिका एवं महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
23. सम्पर्क महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का तिमाही प्रकाशन नई दिल्ली।
24. यूनिसेफ इन इण्डिया, यूनिसेफ, नई दिल्ली